<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्या– अपील/टीए/4625/2019/बून्दी</u>

1. चतुर्भुज सिंह पुत्र बाबूसिंह
2. अणदीसिंह पुत्र बाबूसिंह

–समस्त जाति राव राजपूत निवासीगण ग्राम मैणा तहसील नैनवा जिला बून्दी

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथूसिंह पुत्र बन्नेंसिंह जाति राजपूत मूल निवासी ग्राम मोसलपुर टोडाभीम जिला करौली हाल आबाद वार्ड संख्या 16, रविन्द्र कॉलोनी तहसील नैनवा जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर बून्दी।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी
4. उपपंजीयक देई, तहसील नैनवा जिला बून्दी

–प्रत्यर्थीगण

5. रतनकंवर पत्नि स्व. लक्ष्मणसिंह जाति राव राजपूत निवासीगण ग्राम मैणा तहसील नैनवा जिला बून्दी
6. सीमाकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि महावीर सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. लीलाकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि मंजीतसिंह जाति राव राजपूत निवासी केशलालजी महावर कपडे वाले का मकान, अस्थल रोड, छावनी चौराहा, टोंक।
8. श्रीमती सीता पुत्री स्व. बालू पत्नि भवत जाति माली निवासी ग्राम बदनोर जिला भीलवाडा।
9. भगवान पुत्र स्व. सुखदेव जाति माली निवासी सथाना तहसील मसूदा जिला अजमेर।
10. श्रीमती बदाम कंवर पुत्री बाबूसिंह पत्नि उमराव सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम छापरवाडा पोस्ट सनाडिया तहसील दूदू जिला जयपुर

–तरतीबी प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित

श्री के.जी.खत्री, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः- 30-03-2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-4-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी नाथूसिंह ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध ग्राम मैणा पटवार मण्डल भजनेरी तहसील नैनवा स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 113 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 115 रकबा 12 बिस्वा, 124 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 131 रकबा 13 बिस्वा, 132 रकबा 8 बिस्वा, 133 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 136 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीरुघा 3 बिस्वा भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपना इकबाली जवाबदावा पेश कर वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादी के वाद को डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना दर्शित किया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 ने अपना पृथक से जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि देवीसिंह व लक्ष्मणसिंह के हिस्से 1/2 का विधिवत विभाजन होने से वादी बाध्यकारी है, अतः वादी का वाद खारिज किया जावे। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने आलोच्य वाद को उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसरण निर्णय दिनांक 16-5-2017 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी नाथूसिंह ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की। उक्त अपील को न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20-4-2018 पारित करते हुए आंशिक स्वीकार कर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त निर्णय में प्रकरण को विचारण न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि न्यायालय पक्षकारान को सुनवाई

व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर दावे व जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को अलग–अलग विरचित कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–4–2018 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–5–2017 को नजरन्दाज करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनियमितता की है। उनका आगे कहना है कि वादी को पूर्व वाद संख्या 20/2001 की जानकारी होने के बावजूद भी उक्त वाद की कार्यवाही में पक्षकार संयोजित होने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अतिरिक्त प्रकरण के सही तथ्यों को लाये बिना ही बेचान का परिपत्र अपने हक में पंजीकृत करवा लिया। उन्होंने बताया कि जब ही आराजी का विधिवत बंटवारा वर्ष 2004 में हो गया तथा उक्त निर्णय को किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दिए जाने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 29–5–2004 वादी पर बाध्यकारी था। यहीं नहीं उक्त निर्णय के अनुसरण में दोनों पक्षों के पृथक–पृथक खाते यथा जमाबंदी में इन्द्राजात हो गए। इसके बावजूद 10 वर्ष वादी द्वारा इसी आराजी बाबत वाद पेश किया जाना नियमानुकूल नहीं है। उक्त स्थिति में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–4–2018 को निरस्त उपखण्ड अधिकारी नैनवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–5–2017 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में बताया कि उनके द्वारा प्रश्नगत आराजी बाबत पेश किया गया तनकियात के स्तर पर आहूत था, इसी दौरान बिना उनकी सहमति एवं सूचना दिए विचारण न्यायालय ने आलोच्य मूल वाद को लोक अदालत में पेश कर दिया। उनका तर्क है कि जबकि राजस्व लोक दालत में केवल ऐसे प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है, जिसमें समस्त पक्षकारान की मामले को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की सहमति हो, परन्तु ऐसा इस प्रकरण में नहीं है। अतः मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय लोक अदालत की भावना के विपरीत है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना पाया जाता है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित किए गए निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी नाथूसिंह ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध ग्राम मैणा पटवार मण्डल भजनेरी तहसील नैनवा स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 113 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 115 रकबा 12 बिस्वा, 124 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 131 रकबा 13 बिस्वा, 132 रकबा 8 बिस्वा, 133 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 136 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीरुघा 3 बिस्वा भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपना इकबाली जवाबदावा पेश कर वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादी के वाद को डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना दर्शित किया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 ने

अपना पृथक से जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि देवीसिंह व लक्ष्मणसिंह के हिस्से 1/2 का विधिवत विभाजन होने से पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 29-5-2004 से वादी पूर्णतया बाध्यकारी है, अतः वादी का वाद खारिज किया जावे। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने आलोच्य वाद को उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसरण में निर्णय दिनांक 16-5-2017 पारित कर खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी नाथूसिंह ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की। उक्त अपील को न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20-4-2018 पारित कर आंशिक स्वीकार कर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है।

8. रेकार्ड से प्रदर्शित होता है कि मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा ने वादी नाथूसिंह द्वारा दायर किए गए वाद में निर्णय दिनांक 16-5-2017 पारित किया है। न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत की भावना से निस्तारित करना अंकित किया है। वर्तमान में प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार यह व्यवस्था दी गई है कि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों को संयोजित किया जाता है जिनमें समस्त पक्षों के पक्षकार मामले को लोक अदालत की भावना से निस्तारित करने बाबत सहमत हो। हमने उपलब्ध समस्त रेकार्ड का विधिवत परीक्षण किया है तथा हम पाते है कि हस्तगत मामले में मामले से जुडे समस्त पक्षकारान द्वारा मूल वाद की कार्यवाही को लोक अदालत की भावना से निस्तारित करने बाबत किसी प्रकार का अभ्यावेदन न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अतः मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16-5-2017 को लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अनियमितता की है। सारांशतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-5-2017 दोषपूर्ण होना पाया जाता है।

9. ऐसे निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा आंशिक स्वीकार कर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में मुख्यतया मूल वाद की कार्यवाही को बिना पक्षकारान की सहमति व सम्यक सूचना के लोक अदालत की भावना से निस्तारित करने को अनुचित होना प्रकट किया है। उपलब्ध दस्तावेज के क्रम में यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित कर प्रकरण को निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में किसी विधि का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। अतएवं प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना पायी जाती है। सारांशतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाकर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-4-2018 को यथावत रखा जाता है। इसके साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 17/227 में पारित निर्णय दिनांक 20-4-2018 की निरन्तरता में न्यायहित में उपखण्ड अधिकारी नैनवा को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय राजस्व वाद संख्या 20/2001 बउनवान बाबूसिंह बनाम देवीसिंह वगैरहा एवं वाद संख्या दावा संख्या 55/2014 बनवान नाथूसिंह बनाम रतनकंवर वगैराह को समेकित करते हुए एक साथ विचारण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष